न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 22/2023

वादीगण :–

1. गुलशन पुत्री जमाल खान, आयु 21 वर्ष,
2. कलसुम पुत्री जमाल खान, आयु 12 वर्ष,
3. शाईना पुत्री जमाल खान, आयु 15 वर्ष,
4. फातमा पुत्री जमाल खान, आयु 8 वर्ष,

वादी संख्या 2 से 4 तक नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता मुमताज पत्नी जमाल खान, सभी जातियान सिन्धी मुसलमान, निवासीगण ग्राम सिन्धीनगर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जमाल खॉ पुत्र बागे खॉ
2. असलम पुत्र जमाल खॉ
3. असमा पुत्री जमाल खॉ पत्नी जाकिर खॉ,

जातियान सिन्धी मुसलमान, निवासीगण ग्राम सिन्धीनगर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) एवं पदेन उप पंजीयक बिलाड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या – 4 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–** 5/2/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उपरोक्त पते पर निवास करते है। राजस्व ग्राम सिन्धीनगर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 356 रकबा 1.9740 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। चालु जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के अनुसार उपरोक्त खरारे की भूमि के खाता संख्या 130 है। उपरोक्त खसरा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पुश्तैनी, सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा व अविभाजित कृषि भूमि है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदो में वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' से संबोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम ओलवी, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 223 रकबा 1.2378 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 224 रकबा 5.3475 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 6.5853 हैक्टेयर आई हुई है। जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार उपरोक्त खसरान की भूमि के खाता संख्या 160 है। उपरोक्त खसरान की भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

1/3 हिस्सा दर्ज है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पुश्तैनी, सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा व अविभाजित कृषि भूमि है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदो में वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' से संबोधित किया जायेगा। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का वंशावली वृक्ष निम्नानुसार है :–

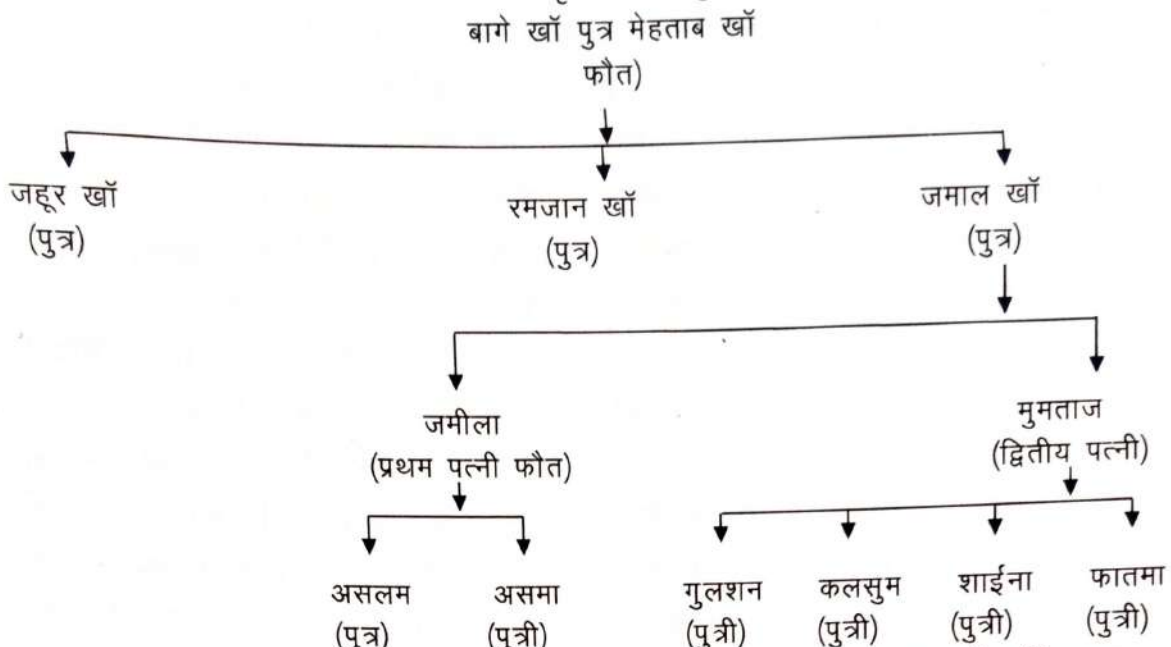

उपरोक्त वंशावली वृक्ष के अनुसार बागे खॉ वादीगण के दादा थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा बागे खॉ के वारिस जहूर खॉ, रमजान खॉ, जमाल खॉ पिसरान बागे खॉ है, रमजान खॉ का भी स्वर्गवास हो चुका है। जमाल खॉ ने दो शादिया की। पहली पत्नी जमीला जिनका स्वर्गवास हो चुका है। जमीला के साथ दाम्पत्य सम्बंध से जमाल खॉ के एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 असलम व एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 3 असमा का जन्म हुआ। दुसरी पत्नी मुमता के साथ दाम्पत्य संबंध से जमाल खॉ के चार पुत्रिया वादीगण गुलशन, कलसुम, शाईना, फातमा का जन्म हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' पूर्व में वादीगण के दादा बागेखॉ के नाम से दर्ज थी। बागे खॉ फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' जरिये फौतेदगी म्यूटेशन द्वारा बागे खॉ के वारिस जहूर खॉ, रमजान खा व जमाल खॉ के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' की चालु जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का पुश्तैनी, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा व अविभाजित कृषि भूमि है तथा वादीगण बागे खॉ का पौत्रियॉ होने से मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) लागूकरण अधिनियम 1937 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का भी वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा में जन्म से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जमाल खॉ के बराबर हक व अधिकार है। यानि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में दर्ज 1/3 हिस्से में वादी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/7 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/7हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/7 हिस्सा मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) लागूकरण अधिनियम 1937 के अनुसार बनता है तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में वादी संख्या 1 का 1/21

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/21 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/21 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/21 हिस्सा मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) लागूकरण अधिनियम 1937 के अनुसार बनता है। वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' पूर्व में वादीगण के दादा बागेखॉ के नाम से दर्ज थी। बागे खॉ फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' जरिये फौतेदगी म्यूटेशन द्वारा बागे खॉ के वारिस जहूर खॉ, रमजान खा व जमाल खॉ के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' की चालु जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का पुश्तैनी, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा व अविभाजित कृषि भूमि है तथा वादीगण बागे खॉ का पौत्रियॉ होने से मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) लागूकरण अधिनियम 1937 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का भी वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा में जन्म से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जमाल खॉ के बराबर हक व अधिकार है। यानि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में दर्ज 1/3 हिस्से में वादी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/7 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/7 हिस्सा मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) लागूकरण अधिनियम 1937 के अनुसार बनता है तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में वादी संख्या 1 का 1/21 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/21 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/21 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/21 हिस्सा मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) लागूकरण अधिनियम 1937 के अनुसार बनता है। वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' में निहित हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज नही है, अपितु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादीगण का निहित हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मना कर दिया, जबकि वादीगण अपने वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' में निहित हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने की कानूनन अधिकारी है। इस कारण प्रत्येक वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में निहित 1/21–1/21–1/21–1/21 हिस्सा व वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में प्रत्येक वादीगण को निहित 1/21–1/21–1/21–1/21 वॉ हिस्सा के सम्बंध में खातेदार घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी की घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादीगण के पिता जमाल खॉ द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में से 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उनके नाम दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में दर्ज उनका 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.09.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान कर दिया। जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
शिवगंज

संख्या 1 से 3 तक की पुश्तैनी सम्पति होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में दर्ज 1/3 हिस्सा में से 1/7 हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में से 1/21 वॉ हिस्सा ही मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) लागूकरण अधिनियम 1937 के अनुसार बनता है तथा उक्त हिस्सा की भूमि ही प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान करने का कानूनन अधिकार था। इस प्रकार वादीगण के पिता जमाल खॉ द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में निहित 1/21 वॉ हिस्से से ज्यादा हिस्से की भूमि यानि 1/3 हिस्सा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.09.2022 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान कर दी। इस प्रकार वादीगण के पिता जमाल खॉ द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में वादीगण के उपरोक्त वर्णितानुसार निहित हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान कर दी। जो बैचाननामा वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में वादीगण के उपरोक्त वर्णितानुसार निहित हिस्से तक शून्य, बेअसर व अप्रवृतनीय है तथा ऐसे शून्य, प्रभावहीन व अप्रवृतनीय बैचाननामा से वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में वादीगण के उपरोक्त वर्णितानुसार निहित हिस्से के सम्बंध में वादीगण को प्राप्त हक व अधिकार समाप्त नही होते है तथा न ही प्रतिवादी संख्या 2 को ऐसे शून्य, प्रभावहीन व अप्रवृतनीय बैचाननामा के आधार पर वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में उपरोक्त वर्णितानुसार निहित हिस्सा 1/21–1/21–1/21–1/21 के सम्बंध में कानूनन किसी भी प्रकार का दखल करने का अधिकार है। राजस्व न्यायालय उक्त बैचाननामा को वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में वादीगण के उपरोक्त वर्णितानुसार निहित हिस्सा 1/21–1/21–1/21–1/21 के सम्बंध में शून्य, प्रभावहीन व अप्रवृतनीय घोषित किये जाने हेतु सक्षम है तथा वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में निहित उनके 1/21–1/21–1/21–1/21 हिस्सा के सम्बंध में खातेदार काश्तकार घोषित करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार भी प्राप्त है। इसलिए उक्त बैचाननामा को वादीगण उपरोक्त वर्णितानुसार निहित हिस्सा के सम्बंध में शून्य, प्रभावहीन व अप्रवर्तनीय घोषित किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' के सम्बंध में उपरोक्त वर्णितानुसार निहित हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जिस हेतु यह वाद पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से व वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में से 1/3 हिस्सा की भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में दर्ज 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.09.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान करने से तथा वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में से 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से व वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में से 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.09.2022 के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण को दिनांक 01.03.2023 को वादीगण को इस आशय की धमकी दी कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' में से 1/3–1/3 उनके नाम दर्ज होने के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' में दर्ज

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
दिलावर

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उपरोक्त हिस्सा को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देगे तथा वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' में निहित हिस्से से जबरन बेदखल कर देगे। जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पुश्तैनी भूमि होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' में वादीगण के निहित हिस्से को आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण करने तथा वादीगण को जबरन बेदखल करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' में दर्ज 1/3–1/3 को आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देगे तथा वादीगण को उनके वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' में निहित हिस्से से जबरन बेदखल कर देगे। जिससे वादीगण का वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेंबाजी बढ जायेगी तथा वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोकने हेतु उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पुश्तैनी, सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा व अविभाजित होने से वादीगण का भी मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) लागूकरण अधिनियम 1937 के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' मे वादीगण का भी वाद पत्र के पद संख्या 5 व 6 में वर्णितानुसार हिस्सा निहित होने से तथा वादीगण के निहित हिस्से की भूमि राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम से दर्ज नही होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के निहित हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाने से इन्कार करने से, वादीगण के पिता जमाल खॉ द्वारा वादीगण के वाद पत्र के पद संख्या 6 में वर्णितानुसार निहित हिस्सा की वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को बैचान करने से तथा उक्त बैचाननामा वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में वाद पत्र के पद संख्या 6 में वर्णितानुसार निहित हिस्सा के सम्बंध में शून्य, बेअसर व अपवतृनीय होने से व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादीगण के निहित हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' बैचाननामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपने नाम दर्ज होने के आधार पर तथा वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के आधार पर दिनांक 01.03.2023 को आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करने की धमकी देने, वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' में वाद पत्र के पद संख्या 5 व 6 में वर्णितानुसार निहित हिस्से के सम्बंध में प्राप्त हक से वंचित करने की धमकी देने तथा वादीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम ग्राम सिन्धीनगर व ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा मे पैदा हुआ। जो सतत् जारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' राजस्व ग्राम सिन्धीनगर व वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' राजस्व ग्राम ओलवी तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित होने से व वाद बाबत् खातेदारी की घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए होने से प्रस्तुत वाद

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है तथा प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय को सुनने का श्रवणाधिकार का है।

अतः वादीगण वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम सिन्धीनगर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' खसरा संख्या 356 रकबा 1.9740 हैक्टेयर में से वादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक को निहित 1/21–1/21–1/21–1/21 हिस्सा का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/21 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की घोषित सहखातेदारी की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम ग्राम ओलवी, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' खसरा संख्या 223 रकबा 1.2378 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 224 रकबा 5.3475 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 6.5853 हैक्टेयर में से वादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक को निहित 1/21–1/21 –1/21–1/21 हिस्सा का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/21 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/21 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की घोषित सहखातेदारी की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' में निहित 1/21–1/21 –1/21–1/21 हिस्से के सम्बंध में घोषित खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे व न किसी अन्य से करावे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 17.07.2023 को प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 प्रफोर्मा पक्षकार है उनके जवाब की आवश्यकता नही है। वादीया के तथ्यों का खण्डन नही होने के कारण वाद में तनकीयात कायम नही की गयी। इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र गुलशन पुत्री जमाल खान पी.डब्ल्यू 1 तथा मुमताज पत्नी जमाल खान पी. डब्ल्यू 2 का पेश किया गया।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य सबूत के तौर पर प्रदर्श 1 ग्राम जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खसरा नंबर 356 ग्राम सिंधीनगर की , प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 खसरा नंबर 223, 224 ग्राम ओलवी, प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 खसरा नंबर 223, 224 ग्राम ओलवी, प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 खसरा नंबर 356 ग्राम सिंधीनगर,

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

प्रदर्श 5 रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.09.2022 जमाल खां बहक असलम को प्रदर्शित कराये गये।

वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के तथ्यों को दोहराया एवं वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम सिन्धीनगर तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 356 रकबा 1.9740 हैक्टयर आयी हुयी है। यह भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के दादा बागे खां पुत्र मेहरताब खॉ कौम सिन्धी के नाम से पुरानी जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 में दर्ज थी। बागे खां फौत होने पर वादग्रस्त भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन सं. 954 के जरिये बागे खॉ के वारिस जहूर खॉ, रमजान खॉ व जमाल खॉ के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि चालु जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1/3 हिस्सा इन्द्राज है। इसी प्रकार ग्राम ओलवी तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 223 रकबा 1.2378 हैक्टयर व खसरा नंबर 224 रकबा 5.3475 हैक्टयर आयी हुयी है। यह भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के दादा बागे खां पुत्र मेहरताब खॉ कौम सिन्धी के नाम से पुरानी जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 में दर्ज थी। बागे खां फौत होने पर वादग्रस्त भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन सं. 336 के जरिये बागे खॉ के वारिस जहूर खॉ, रमजान खॉ व जमाल खॉ के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त दोनों वादग्रस्त पैतृक भूमि है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पैतृक भूमि में पुत्र के साथ–साथ पुत्री का भी बराबर का हक हिस्सा बनता है। किन्तु प्रार्थीगण हिन्दु सम्प्रदाय से न होकर मुस्लिम सम्प्रदाय से है जिनपर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। प्रार्थीया द्वारा अपने वाद पत्र में मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागूकरण अधिनियम 1937 का उल्लेख कर उसके अनुसार अपना हिस्सा बताया है मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागूकरण अधिनियम 1937 के अनुसार **किसी प्रतिकूल रूढि या प्रथा के होते हुए भी (कृषि–भूमि संबंधी प्रश्नों के अलावा) निर्वसीयती उतराधिकार स्त्रियों को विशेष संपति (जिसमें संविदा या हिबा स्वीय विधि के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत प्राप्त या दान में प्राप्त की गयी संपति शामिल है) निकाह, विवाह–विच्छेद, (जिसमें तलाक, इला, जिहार, लिअन, सुला और मुबारत शामिल हैं), निर्वहन, मेहर, संरक्षकता, दान, न्यास की संपति और वक्फ संबंधी (खैरात, खैराती संस्थाओं और खैराती और धार्मिक धर्मस्वों से भिन्न) सब प्रश्नों में, ऐसे वादों में, जिनके पक्षकार मुस्लिम हो के विनिश्चय की विधि मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) होगी।** प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मुस्लिम है और उतराधिकार एवं विरासत की मुस्लिम विधि से शासित होते है। मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति की कोई अवधारणा नहीं है। मुस्लिम विधि में पैतृक व स्वअर्जित सम्पति में कोई भेद नहीं किया गया है। एक मुस्लिम की सभी सम्पतियां उसकी स्वअर्जित सम्पति मानी जाती है, भले ही वे विरासत में प्राप्त हुई हो। मुस्लिम विधि में विरासत के लिए चल व अचल सम्पति में भी कोई भेद नहीं किया गया है। एक मुस्लिम की सभी सम्पतियां उसकी **Absolute Property with full powers of alienation** होती है। मुस्लिम विधि में ना तो पैतृक सम्पति की अवधारणा है और ना ही जन्म से कोई अधिकार निहित होता है। मुस्लिम पिता के जीवनकाल मे उनके वारिसानों का उनकी सम्पति में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त वादी ने पेश किये। न्यायिक दृष्टान्त

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

2023(1) आर.आर.टी. 372 धनराज बनाम रतन कुमार अग्रवाल व अन्य में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया कि **वादी ने अभिवचन किया कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है और उसके हिस्से था दावा किया– कोई व्यक्ति जब उसके हिस्से से अधिक भूमि हस्तान्तरित कर रहा है, ऐसा दस्तावेज शून्य व अवैध है और बिना निरस्त कराये राजस्व न्यायालय पैतृक भूमि में हिस्सा निर्धारित कर सकता है–वाद पत्र में किये प्रकथनों से वाद विचारण की राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकारिता है–निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है।** इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2015(1) आर.आर.टी. 100 महेन्द्र सिंह बनाम मुर्ति देवी में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया कि **मुख्य बिन्दु पैतृक अधिकारों की घोषणा के संबंध में है–वादी के हित की घोषणा राजस्व न्यायलय विक्रय पत्र पर विचार किये बिना कर सकता है–यदि भूमि पैतृक है और वादीगण सह–अंशधारी है, तब केवल राजस्व न्यायालय वाद निर्णीत कर सकता है–निर्णीत, आदेश क्षेत्राधिकारिता की त्रुटियां अवैधता नहीं है।**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त, हस्तगत प्रकरण में हुबहु चस्पा नहीं होते है। अतः मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागूकरण अधिनियम 1937 कृषि भूमि पर लागू नहीं होने तथा मुस्लिम पिता के जीवनकाल में उनके वारिसानों का उनकी सम्पति में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थीगण का वाद खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/2/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मदला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

गुलशन वगैराह — जमाल खॉ वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 22/2023

निर्णय **दिनांक :–** 5/2/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागूकरण अधिनियम 1937 कृषि भूमि पर लागू नहीं होने तथा मुस्लिम पिता के जीवनकाल में उनके वारिसानों का उनकी सम्पति में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थीगण का वाद खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5/2/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा